सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 25 अग्रहायण, 1944 (श०) / 16 दिसम्बर, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 09

(1)	स्वास्थ्य विभाग	..	..	..	..	07
(2)	ऊर्जा विभाग	..	..	..	..	01
(3)	योजना एवं विकास विभाग	..	..	..	..	01
					कुल योग --	09

नुकसान कम करना

18. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''2020 में ही 15 प्रतिशत तय हुआ था लक्ष्य अब 2025 में भी नहीं होगा पूरा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साउथ बिहार एवं नार्थ बिहार बिजली आपूर्ति कम्पनियों ने विद्युत् विनियामक आयोग को 2015-16 में ही सौंपे अपने प्रस्ताव में ही 2019-20 तक बिजली नुकसान को राष्ट्रीय मानक (15 प्रतिशत) तक लाने का लक्ष्य निर्धारण की सूचना दी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिजली नुकसान 2015-16 में 44 प्रतिशत था जो 2020-21 में मात्र 11 प्रतिशत घटकर 33 प्रतिशत तक और 2022-23 में अबतक 30 प्रतिशत तक पहुँचा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार में बिजली नुकसान की तीव्रता से कम करने एवं राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

19. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बीमारियों का डाटा तैयार करने में बिहार के अस्पताल फिसड्डी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश के सभी राज्य के जिलों के अस्पतालों में बीमारियों का डाटा तैयार कर आई0एच0आई0पी0 के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है परन्तु बिहार के 33 जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारी ने बीमारियों का डाटा तैयार कर इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फार्मेशन प्रोग्राम के पोर्टल पर अबतक अपलोड नहीं किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बीमारियों का डाटा उक्त पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर ढंग से काम नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीमारियों का डाटा अपलोड करने की व्यवस्था करते हुये डाटा अपलोड नहीं करने वाले स्वास्थ्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

20. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''गर्मी कम होने के बावजूद डेंगू का कहर बढ़ा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना समेत पूरा बिहार डेंगू बीमारी के कहर से परेशान रहा ;

(2) क्या यह बात सही है कि जुलाई से ही डेंगू मरीज का बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखने के बावजूद एंव टाइप 2 स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद भी विभाग के द्वारा डेंगू रोक-थाम के लिये कोई भी सकारात्मक व्यवस्था नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डेंगू मरीजों के लिये सभी अस्पतालों में अलग डेंगू वार्ड बनाने एवं इसके रोक-थाम के लिये कोई ठोस कदम उठाने के साथ-साथ डेंगू से हुई मौत पर मृतक के परिजन को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराना

21. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "सुपर स्पेशियलिटी संस्थान में नहीं हो रही ओपन हार्ट सर्जरी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एकमात्र सरकारी सुपर स्पेशियलिटी संस्थान आई0जी0आई0सी0 (इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान) में ओपन हार्ट सर्जरी के लिये जरूरी सारे अत्याधुनिक उपकरण रहने के बावजूद अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होने के कारण गरीब मरीज अपना ऑपरेशन निजी अस्पतालों में कराने को विवश हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 535 करोड़ की लागत से तैयार संस्थान में सभी अत्याधुनिक उपकरण एवं डॉक्टर तैनात रहने पर भी हर दिन ओपन हार्ट सर्जरी मरीजों को रेफर कर दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना

22. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी जिलों में दैनिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय वर्ष 2008 में लिया गया था, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में दैनिक योग प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा था, परंतु अप्रील, 2022 में दैनिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अचानक बंद कर दिया गया, जबकि दैनिक योग प्रशिक्षण राज्य के युवाओं सहित सभी आम नागरिकों के स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्व की भाँति योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर दैनिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के आमजनों के लिये कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधीक्षक पर कार्रवाई करना

23. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवा, रसायन, औजार, उपकरण समेत अन्य उपकरण खरीद के नाम पर वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में करोड़ों की गड़बड़ी पाये जाने पर निगरानी विभाग द्वारा 2013 में शुरू जाँच एवं चार्ज शीट को आधार बनाकर ई0डी0 ने मनी लान्ड्रिंग ऐक्ट के तहत ई0सी0आई0आर0 दर्ज कर पी0एम0सी0एच0 के तत्कालीन अधीक्षक, डॉ0 ओ0 पी0 चौधरी सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित अभियुक्तों में से मात्र 5 अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्त हुई शेष अभियुक्तों सहित बिहार मेडिकल सर्विस एवं इन्फ्रास्ट्रकचर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त घोटाले में सम्मिलित शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विसरा जाँच रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराना

24. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर आमतौर पर विसरा रिपोर्ट तैयार करने में तीन हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन लैब की कमी और बड़ी संख्या में सैंपल होने के कारण रिपोर्ट आने में एक वर्ष से अधिक लग जाता है, जिसके कारण पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा मिलने में भी काफी विलम्ब हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार विसरा जाँच रिपोर्ट एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने के लिये लैब की कमी को कबतक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आयुष्मान कार्ड निर्गत करना

25. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 5.5 करोड़ नागरिक आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखते हैं परन्तु मात्र 1.08 करोड़ को ही आयुष्मान कार्ड निर्गत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आयुष्मान कार्ड का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया गया था परंतु इसका कार्यान्वयन नहीं होने से अभीतक शेष बचे 4 करोड़ परिवारों को आच्छादित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन-आरोग्य योजना के तहत आच्छादित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक स्वीकृति देना

26. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से योजना के क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त तथा संबंधित विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी से अनापत्ति लेने के उपरान्त ही योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत/जिला परिषद/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग से संबंधित अन्य किसी भी योजना में खंड (1) में वर्णित प्रावधान नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रावधान के कारण योजनाएं निर्धारित समयावधि में चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर पूर्ण नहीं हो पाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) (i) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित मार्गदर्शिका की कंडिका 10 की उप-कंडिका 9 में यह प्रावधान है कि माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल द्वारा अनुशंसित योजनाओं के प्राक्कलन के साथ योजना की उपयोगिता/सार्थकता/सरकारी भूमि की उपलब्धता आदि प्रतिवेदन के साथ प्राक्कलन प्राप्त होते ही जिला योजना पदाधिकारी द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(ii) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में गली-नाली/सम्पर्क पथ तथा जलापूर्ति योजना को सम्मिलित किया गया है । सात निश्चय योजना अन्तर्गत गली-नाली का निर्माण एवं हर घर नल का जल की योजना पंचायती राज्य विभाग द्वारा क्रियान्वित है । योजनाओं के दोहरीकरण को रोकने के लिये उप-विकास आयुक्त के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश है ।

(2) (i) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका 10 की उप-कंडिका 10 में प्रावधान है कि कार्य को तभी स्वीकृत एवं कार्यान्वित कराया जायेगा जब सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी हो ।

(ii) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अनुमान्य भवन निर्माण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी भूमि पर ही कराया जाने का निर्देश है । इसके लिये जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के माध्यम से संबंधित अंचलाधिकारी से सरकारी भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(3) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 11 की उप-कंडिका 1 एवं 2 तथा कंडिका 12 में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय-सीमा के साथ-साथ योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधिसीमा भी निर्धारित है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन ससमय पूर्ण की जा सके । मार्गदर्शिका में यह भी निदेशित है कि स्वीकृति-पत्र/आदेश में कार्यान्वयन अभिकरण के लिये समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ।

(4) योजनाओं के ससमय स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु विभागीय पत्रांक 1474, दिनांक 18 मई, 2020 के द्वारा सभी जिला योजना पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को यह निदेश है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत अनुमान्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये ।

पटना :
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 51(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550